



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रतिष्ठान से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2004/मघा 17, 1925

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2004/MAGHA 17, 1925

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004

सं. एल-7/25(4)-2003.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पिछले प्रकाशनों के पर्याप्त, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 है ;
- (ii) (क) ये विनियम, विनियम 6 के खण्ड (iii) के सिवाय, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे; (ख) इन विनियमों के विनियम 6 का खंड (iii), इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होगा और 90 दिनों की इस अवधि के दौरान, अल्पकालिक ग्राहकों के लिए आरक्षण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा :
परन्तु यह कि ऐसे आरक्षण की अवधि इस विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

परिभाषाएं

2. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्वया अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

- (ख) “आबंटित पारेषण क्षमता” से प्रसामान्य परिस्थितियों के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर दीर्घकालिक ग्राहक को अनुज्ञात विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण स्थान और प्राप्त करने के स्थल के बीच मेगावाट में ऊर्जा का अंतरण अभिप्रेत है और “पारेषण क्षमता का आबंटन” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (ग) “आयोग” से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
- (घ) “प्रत्यक्ष ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं की या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित प्रणाली से संबद्ध हो ;
- (ङ) “संनिहित ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष ग्राहक न हो ;
- (च) “विद्यमान फायदाग्राही” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से स्थायी आबंटन किया गया हो और जिसने केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ थोक विद्युत पारेषण करार किया हो ;
- (छ) “ग्रिड कोड” से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और उसमें इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड सम्मिलित है ;
- (ज) “नोडल अभिकरण” से इन विनियमों के विनियम 8 में परिभाषित नोडल अभिकरण अभिप्रेत है ;
- (झ) “खुली पहुंच ग्राहक” से प्रदाय के उसके क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न, किसी व्यक्ति से विद्युत का प्रदाय करने के लिए राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञात उपभोक्ता अभिप्रेत है और उत्पादन कंपनी तथा अनुज्ञप्तिधारी में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने खुली पहुंच प्राप्त कर ली है या प्राप्त करना चाहता है ;

- (प्र) “पारेषण ग्राहक” से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसमें खुली पहुंच ग्राहक भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली का उपयोग करता है ;
- (द) “आरक्षित पारेषण क्षमता” से पारेषण प्रणाली की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए, पारेषण प्रणाली पर अल्पकालिक ग्राहक को अनुज्ञात विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण स्थान और प्राप्त करने के स्थल के बीच मेगावाट में ऊर्जा का अंतरण अभिप्रेत है और “पारेषण क्षमता का आरक्षण” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (ठ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, अधिनियम या ग्रिड कोड में हैं ।

लागू होने का विस्तार

3. ये विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की खुली पहुंच के लिए लागू होंगे ।

4. पारेषण ग्राहकों का प्रवर्गीकरण

- (i) पारेषण ग्राहकों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) दीर्घकालिक ग्राहक ; और

(ख) अल्पकालिक ग्राहक ।

- (ii) ऐसे व्यक्ति, जो पच्चीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए खुली पहुंच प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, दीर्घकालिक ग्राहक होंगे :

परन्तु यह कि स्वयं की या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के विद्यमान फायदाग्राही इन विनियमों के प्रयोजन के लिए स्वयं या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित विशिष्ट प्रादेशिक प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहक समझे जाएंगे ।

(iii) दीर्घकालिक ग्राहक से भिन्न पारेषण ग्राहक अल्पकालिक ग्राहक होंगे :

परन्तु यह कि ऐसी अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक समय अल्पकालिक पहुंच अनुज्ञात की गई है, एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह और कि अल्पकालिक ग्राहक इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् नया आरक्षण प्राप्त करने का पात्र और पुनःपात्र होगा ।

पारेषण पहुंच अनुज्ञात करने के लिए मानदंड

5. (i) दीर्घकालिक पहुंच ग्रिड कोड में अनुबद्ध पारेषण योजना मानदंड के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) अल्पकालिक पहुंच तब अनुज्ञात की जाएगी, यदि निम्नलिखित का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया जाता है,—

(क) अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन ;

(ख) विद्युत प्रवाह में परिवर्तन के कारण उपलब्ध मार्जिन ; और

(ग) भावी भार वृद्धि करने के लिए स्थापित इन विल्ट स्पेयर पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।

पारेषण क्षमता के आबंटन और आरक्षण के लिए मानदंड

6. (i) दीर्घकालिक ग्राहक की आबंटन पूर्विकता अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षण पूर्विकता से उच्चतर होगी ;

(ii) अल्पकालिक ग्राहकों की दशा में, दिए गए समय पर, यदि सभी ग्राहक खुली पहुंच के लिए अनुरोध करते हैं तो प्रत्येक अल्पकालिक ग्राहक इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा ;

(iii) (क) अल्पकालिक पहुंच की दशा में, यदि ग्राहकों द्वारा आरक्षित किए जाने की मांग की क्षमता, किसी समय बिन्दु पर उपलब्ध पारेषण क्षमता से अधिक है तो संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र फैक्स या ई-मेल के माध्यम से बोली आमंत्रित करेंगे ;

(ख) बोली की न्यूनतम कीमत इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार अवधारित कीमत होगी ;

(ग) बोली लगाने वाले उपरोक्त न्यूनतम कीमत की प्रतिशतता के अनुसार कीमत कोट करेंगे ;

(घ) पारेषण क्षमता का आरक्षण कोट गई कीमत के घटते हुए क्रम में किया जाएगा ;

(ङ) समान कीमत, यदि अपेक्षित हो, की दशा में, पारेषण क्षमता का आरक्षण मांग की गई क्षमता के अनुपात में किया जाएगा ;

(च) आरक्षण दिए गए ग्राहक उनके द्वारा मांगी गई क्षमता से अन्यून क्षमता के लिए अपने द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे और पारेषण क्षमता आरक्षण प्राप्त

करने वाले ग्राहक उनके द्वारा मांगी गई क्षमता के बराबर पारेषण क्षमता का आरक्षण प्राप्त करने वाले अंतिम ग्राहक द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे ।

(iv) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 45 दिनों के भीतर अल्पकालिक ग्राहकों की पारेषण क्षमता के आरक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें बोली लगाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी सम्मिलित है, विरचित करेंगे ।

7. प्रवर्गों (दीर्घकालिक या अल्पकालिक) के अंतर्गत खुली पहुंच ग्राहकों और एकीकृत इकाई के स्वयं उपयोग जैसे राज्य विद्युत बोर्ड के बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली का उपयोग करके (जिसमें स्व-उपयोग और ऐसे असमूहित अभिकरण भी सम्मिलित है जो पहले एकीकृत थे) विद्यमान दीर्घकालिक ग्राहकों की घोषणा इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिनों के भीतर या तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर या संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर करेंगे । अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु सभी अनुरोधों पर इन विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

नोडल अभिकरण

8. (i) दीर्घकालिक पारेषण प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए एक नोडल अभिकरण केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता होगा, यदि उसकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, अन्यथा नोडल अभिकरण ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी होगा जिसका प्रणाली में, विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है ।
- (ii) अल्पकालिक पारेषण पहुंच के लिए नोडल अभिकरण ऐसे क्षेत्र का प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र होगा जहां विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है ।

दीर्घकालिक ग्राहक के लिए प्रक्रिया

9. (i) दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण बिन्दु प्राप्त करने का स्थल, खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि, अधिकतम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यह कि नोडल अभिकरण इन विनियमों के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रक्रिया और आवेदन का प्ररूप जारी करेगा ।

(iii) आवेदन के साथ एक लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस ऐसे व्यक्ति के नाम में और ऐसी रीति से संदेय होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(iv) अंतर्वलित अन्य अभिकरणों, जिसमें अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, के परामर्श से संचालित प्रणाली अध्ययन के आधार पर, नोडल अभिकरण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, आवेदक को सूचित करेगा कि क्या दीर्घकालिक पहुंच प्रणाली और सुदृढ़ किए बिना अनुज्ञात की जा सकती है या नहीं :

परन्तु यह और कि जहां दीर्घकालिक पहुंच प्रणाली को और सुदृढ़ किए बिना अनुज्ञात किया जा सकता है वहां यह वाणिज्यिक करार करने के ठीक पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ;

(v) नोडल अभिकरण की राय में, यदि दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के पूर्व, प्रणाली को और सुदृढ़ करना आवश्यक है तो आवेदक नोडल अभिकरण से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह प्राक्कलित लागत और प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए अनुसूची पूरा करने के प्रयोजन के लिए प्रणाली अध्ययन और प्रारंभिक निरीक्षण करे ;

(vi) नोडल अभिकरण उपरोक्त खंड (v) के अधीन आवेदक से अनुरोध प्राप्त करने के ठीक बाद अध्ययन करेगा और आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर अध्ययनों के परिणामों की सूचना देगा ।

(vii) आवेदक प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले अध्ययन के लिए नोडल अभिकरण द्वारा उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परन्तु आवेदक द्वारा संदत्त एक लाख रुपए की फीस को आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले वास्तविक व्यय के लिए समायोजित किया जाएगा ।

10. दीर्घकालिक ग्राहक की पारेषण क्षमता के आबंटन को इन विनियमों के विनियम 12 के अनुसार छोड़ दिया जाएगा या किसी अन्य दीर्घकालिक ग्राहक को अंतरित किया जाएगा ।

थोक ऊर्जा पारेषण करार

11. दीर्घकालिक ग्राहक अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ थोक ऊर्जा पारेषण करार करेंगे ।

विद्यमान विकल्प

12. (i) कोई भी दीर्घकालिक ग्राहक आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, थोक ऊर्जा पारेषण करार में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों तथा बाध्यताओं को नहीं छोड़ेगा या उन्हें अंतरित नहीं करेगा ;

(ii) दीर्घकालिक ग्राहक के अधिकार और बाध्यताओं का परित्याग या अंतरण ऐसे प्रतिकर, जो आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, के संदाय के अधीन होगा ।

अल्पकालिक ग्राहक के लिए प्रक्रिया

13. (i) अल्पकालिक ग्राहक, पारेषण पहुंच के आवेदन नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रस्तुत करेगा ;
- (ii) आवेदन में अपेक्षित क्षमता, अंतःक्षेपण बिन्दु प्राप्त करने का स्थल, खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि, अधिकतम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विहित की जाए ;
- (iii) आवेदन के साथ पांच हजार रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस ऐसे व्यक्ति के नाम और ऐसी रीति से देय होगी जो प्रादेशिक भारत प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिश्चित की जाए ;
- (iv) आरक्षित पारेषण क्षमता को अल्पकालिक ग्राहक द्वारा किसी अन्य ग्राहक को अंतरित नहीं किया जाएगा ।

अल्पकालिक ग्राहक द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग न किया जाना

14. (i) यदि अल्पकालिक ग्राहक आरक्षित पारेषण क्षमता के पूर्ण या सारवान् भाग का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता के संबंध में उसके लिए कारणों सहित बताएगा और आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर सकेगा ;
- (ii) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा जब ऐसा अल्पकालिक ग्राहक निर्बाध रूप से आरक्षित पारेषण प्रणाली का उपयोग नहीं करता है ;

(iii) ऐसा अल्पकालिक ग्राहक, जिसने आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर दिया है या जिसकी आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी कर दी गई है या उसे रद्द कर दिया गया है, मूल आरक्षित पारेषण क्षमता के आधार पर और ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए पारेषण क्षमता आरक्षित थी, पूर्ण पारेषण प्रभारों और अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभारों का वहन करेगा।

(iv) उपरोक्त खंड (i) या खंड (ii) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता के अभ्यर्पण या कमी या रद्द करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध पारेषण क्षमता इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य अल्पकालिक खुली पहुंच ग्राहक के लिए आरक्षित की जा सकेगी।

विद्यमान संव्यवहारों का निरूपण

15. इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को, विद्यमान फायदाग्राही से भिन्न, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 60 दिन का यह नोटिस दिया जाएगा कि वह इन विनियमों के अनुसार पारेषण प्रणाली के लिए खुली पहुंच प्रदान करने हेतु नोडल अभिकरण को आवेदन करें।

पारेषण प्रभार

16. अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए पारेषण प्रभार निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) वार्षिक पारेषण प्रभार समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे और अल्पकालिक ग्राहकों से समायोजनीय राजस्व की कटौती करने के पश्चात् दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा आपस में बांटे जाएंगे ;

(ii) (क) अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा देय प्रभारों को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार संगणित किया जाएगा :—

$$\text{एस टी_रेट} = 0.25 \times [\text{टी एस सी/ ए वी_सी ए पी}] / 365$$

जहां,

एस टी_रेट प्रतिदिन रूपए प्रति मेगावाट में अल्पकालिक खुली पहुंच ग्राहक के लिए दर है ।

टिप्पण :

एस टी_रेट प्रत्येक —(क) प्रादेशिक प्रणाली ; (ख) अंतर-प्रादेशिक लिंक ; और (ग) राज्य पारेषण उपयोगिता की प्रणाली या राज्य विद्युत बोर्ड या अंतर-राज्यिक प्रणाली के किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के भाग रूप के लिए संगणित किया जाएगा और उनको लागू होगा ।

“टीएससी” से आयोग द्वारा अवधारित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं ।

“ए वी_सीएपी” से पूर्व वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली द्वारा दी गई मेगावाट में औसत क्षमता अभिप्रेत है और पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन क्षमताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा अन्य संव्यवहारों की संविदागत क्षमता का योग होगा ।

(ख) अल्पकालिक ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार एक दिन के लिए होंगे और वे अनेक दिनों के लिए पूर्ण रूप से गुणांकित किए जाएंगे ।

(ग) पारेषण प्रणाली के लिए टीएससी की अनुपलभ्यता पारेषण पहुंच प्रदान करने में विलंब के लिए कारण नहीं होगी और जहां किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए

टीएससी उपलब्ध नहीं है तो उस क्षेत्र, जिसमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली अवस्थित है, की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन प्रणाली के लिए लागू प्रति मेगा वाट प्रति दिन प्रभारों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी रूपए प्रति दिन प्रति मेगा वाट में दर घोषित करेगा और जो पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए नियत होगी :

परन्तु यह कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की दशा में, जहां 35 पैसा/ किलो वाट घंटा की एक समान सामान्य एकत्रित पारेषण टैरिफ (यूसीपीटीटी) लागू है वहां केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता रूपए/ मेगा वाट/ दिन में यूसीपीटीटी के 25% के रूप में एस टी रेट अधिसूचित करेगा :

परन्तु यह और कि जहां पारेषण क्षमता का आरक्षण इस विनियमों के विनियम 6 में विनिर्दिष्ट शीति से बोली द्वारा किया गया है वहां एसटी_रेट को बोली के लिए न्यूनतम कीमत के रूप में लिया जाएगा ।

(iii) अल्पकालिक ग्राहक से एकत्रित प्रभारों का 25% पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और शेष 75% को दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा देय पारेषण प्रभारों में कटौती के मद्दे समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार

17. (i) 3000/ रूपए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और संव्यवहार में अंतर्वलित राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदत्त किए जाएंगे ।

(ii) उपरोक्त खंड (i) के अनुसार, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एकत्रित अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित फीस और प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।

स्पष्टीकरण—अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार उत्पादन कंपनी द्वारा तब संदेय होंगे जब इस विनियमों के अधीन खुली पहुंच अनुज्ञात की जाती है ।

अनुसूचित विनियम (यू आई) प्रभार

18. (i) अनुसूचित और निकासी स्थल पर वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित और अंतःक्षेपण बिन्दु पर वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच अंतर को ग्रिड द्वारा पूरा किया जाएगा और वह अंतरराज्यिक संव्यवहार को लागू विनियम कीमत तंत्र द्वारा शासित होगा ।
- (ii) यू आई प्रभारों के लिए पृथक् बिल प्रत्यक्ष ग्राहकों को जारी किए जाएंगे और संनिहित ग्राहकों की दशा में, राज्य के लिए मिश्रित यू आई बिल संपूर्ण रूप से, ऐसे पृथक्करण के लिए, जो राज्य स्तर पर किया जाएगा, जारी किए जाएंगे ।

रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

19. खुली पहुंच के कारण प्रत्यक्ष ग्राहकों के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का संदाय आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अंतर-राज्यिक पारेषण में अंतर्वलित संव्यवहारों को लागू स्कीम के अनुसार संगणित किया जाएगा ।
20. राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा संदेय या प्राप्य रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा पूल से संदत्त या प्राप्त किए जाएंगे और संनिहित ग्राहकों को संविभाजित नहीं किए जाएंगे ।
21. संनिहित ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्राप्त करने और अंतःक्षेपण संबद्ध राज्य के भीतर लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

आवेदन पर कार्यवाही करमे के लिए समय अनुसूची

22. खुली पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए अपने-अपने नोडल अभिकरण द्वारा यथासंभव, निम्नलिखित समय-अनुसूची का पालन किया जाएगा ।

क्रम सं०	सेवा/क्रियाकलाप का प्रकार	कार्यवाही करने का अधिकतम समय
1	अल्पकालिक सेवा	
	एक दिन तक एक सप्ताह तक एक मास तक एक वर्ष तक	12 घंटे दो दिन सात दिन तीस दिन
2.	दीर्घकालिक सेवा	
	प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना, पहुंच की साध्यता के संबध में सूचना प्राक्कलित लागत और पूरा होने की अनुसूची के साथ प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन के परिणामस्वरूप सूचना	30 दिन 90 दिन

संक्षेपण पूर्विकता

23. जब पारेषण मजबूरियों या अन्य कारणों से, पारेषण ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी करना आवश्यक हो गया हो तब अल्पकालिक ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी की जाएगी और उसके बाद दीर्घकालिक ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी की जाएगी :

परन्तु यह कि प्रवर्ग के भीतर, सभी उपयोक्ताओं में पूर्विकता से उसी प्रकार कमी की जाएगी और दीर्घकालिक ग्राहकों की दशा में, आबंटित पारेषण क्षमता में और अल्पकालिक ग्राहकों की दशा में आरक्षित पारेषण सेवा में यथानुपात कमी की जाएगी ।

अन्य वाणिज्यिक शर्तें

24. संदाय के निबंधन, उधार पात्रता, क्षतिपूर्ति और अपरिहार्य घटना जैसे पारेषण प्रभार और अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों के लिए अन्य वाणिज्यिक शर्तें दीर्घकालिक

ग्राहकों के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और अल्पकालिक ग्राहकों के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाए जाएंगे ।

विशेष ऊर्जा मीटर

25. विशेष ऊर्जा मीटर प्रत्यक्ष ग्राहकों द्वारा और यदि अपेक्षित हो, संनिहित ग्राहकों द्वारा भी लगाए जाएंगे ।
26. विशेष ऊर्जा मीटर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा निर्दिष्ट रिएक्टिव ऊर्जा के समय अंतर मापमान (15 मिनट) और रिएक्टिव ऊर्जा के बोल्डता अंतर मापमान में समर्थ होंगे ।
27. विशेष ऊर्जा मीटरों को हमेशा अच्छी अवस्था में रखा जाएगा ।
28. प्रत्यक्ष ग्राहक के लिए विशेष ऊर्जा मीटर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक राज्य प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

ऊर्जा हानि

29. पारेषण ग्राहक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा प्राक्कलित पारेषण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानियों का वहन करेंगे । पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियों की अंतःक्षेपण बिन्दुओं पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी । पिछले 52 सप्ताहों के लिए औसत ऊर्जा हानियों के संबंध में, जानकारी को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की वेबसाइट में डाला जाएगा ।

ग्रिड कोड का अनुपालन

30. खुली पहुंच ग्राहक समय-समय पर, प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों का पालन करेंगे ।

प्रभारों का संग्रहण और संवितरण

31. (i) दीर्घकालिक ग्राहकों के संबंध में, पारेषण प्रभारों का संदाय अपने-अपने पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्यक्षतः किया जाएगा ;
- (ii) अल्पकालिक ग्राहकों के संबंध में, पारेषण प्रभार और अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे । नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र एक मास की अधिकतम अवधि के लिए अग्रिम में संदत्त किए जाने वाले पारेषण प्रभारों और अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा ।
- (iii) अल्पकालिक ग्राहक नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को हैंडलिंग के रूप में पारेषण प्रभार और अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार के लिए घोषित रकम और सेवा प्रभारों का 2% का संदाय करेंगे और इन प्रभारों को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों के मद्दे समायोजित नहीं किया जाएगा ;
- (iv) अनुसूचित विनिमय प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का संग्रहण और संवितरण आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार शासित होगा ।

सूचना प्रणाली

32. प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र “खुली पहुंच संबंधी जानकारी” नामक पृथक् वेब पृष्ठ में अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी देगा :—
- (i) निम्नलिखित के लिए अल्पकालिक ग्राहकों (एस टी_रेट) हेतु प्रतिदिन प्रति मेगावाट रूप में न्यूनतम कीमत - (क) प्रादेशिक प्रणाली ; (ख) अंतर-राज्यिक लिंक ; और (ग) राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य विद्युत बोर्ड या किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली

जिसके साथ क्षेत्र या संबंधित राज्य के भीतर स्थित सभी पारेषण अनुज्ञापिधारियों की बाबत ऐसी दर के समर्थन में विस्तृत परिकलन हो ;

(ii) वर्तमान अल्पकालिक ग्राहकों से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित उपदर्शित होगा:—

- (क) ग्राहक का नाम ;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभ की तारीख और समाप्ति की तारीख) ;
- (ग) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
- (घ) प्राप्त करने का स्थल ;
- (ङ) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (क्षेत्र और स्वामित्व के अनुसार) ;
- (च) आरक्षित पारेषण क्षमता ; और
- (छ) लागू रेट (रुपए प्रति मेगावाट प्रति दिन) ।

टिप्पण

प्रास्थिति रिपोर्ट, प्रास्थिति में हुए प्रत्येक परिवर्तन पर अद्यतन की जाएगी ।

(iii) पिछले अल्पकालिक ग्राहकों से संबंधित मासिक-वार और वर्ष-वार रिपोर्ट में निम्नलिखित उपदर्शित होगा:—

- (क) ग्राहक का नाम ;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभ की तारीख और समाप्ति की तारीख) ;
- (ग) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
- (घ) प्राप्त करने का स्थल ;
- (ङ) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (क्षेत्र और स्वामित्व के आधार पर) ;

- (च) आरक्षित पारेषण क्षमता ;
- (छ) लागू रेट (रूपए प्रति मेगावाट प्रति दिन) ; और
- (ज) वास्तविक भार फ़ैक्टर ।

टिप्पण -- सभी पिछली रिपोर्टें वेब-अभिलेखागार में भी उपलब्ध होंगी ।

- (iv) अंतर-प्रादेशिक लिंक के उपयोग और केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता राज्य प्रणालियों (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की दशा में) के बीच अंतरापृष्ठ तथा अंतर-राज्यिक लिंक (राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दशा में) संबंधी जानकारी में निम्नलिखित उपदर्शित होगा :--

- (क) अद्यतन करने का समय ;
- (ख) लिंक का नाम ;
- (ग) लिंक की कुल पारेषण क्षमता ;
- (घ) प्रयुक्त अनुसूचित क्षमता (ग्राहक-वार ब्रेकअप देते हुए) ; और
- (ङ) प्रयुक्त लिंक की वर्तमान क्षमता ।

टिप्पण - यह जानकारी घंटे के आधार पर अद्यतन की जाएगी और जहां संभव हो वहां 15 मिनट पर अद्यतन की जाएगी ।

- (v) पिछले 52 हफ्तों के लिए औसत ऊर्जा हानियों के बारे में जानकारी ।
33. वेब-आधारित जानकारी प्रणाली का प्रकाशन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की दशा में, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दशा में, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर प्रारंभ होगी । प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त जानकारी को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध कराएगा ।

34. सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली का उपयोग करने वाले वर्तमान दीर्घकालिक ग्राहकों (जिसमें स्वयं प्रयुक्त और ऐसी गैर-सामूहिक अभिकरण भी सम्मिलित हैं जो पहले एकीकृत थे) की घोषणा करेगा जिसका ब्यौरा इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर अपनी स्वयं की वेबसाइटों पर या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर दिया जाएगा ।

टिप्पण

जैसे ही प्रास्थिति में परिवर्तन होता है अनुसूची को अद्यतन किया जाएगा ।

प्रतितोष तंत्र

35. अनुचित व्यवहार, षिलंब, विभेद, जानकारी की कमी, गलत जानकारी का दिया जाना या अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में सभी शिकायतें उस क्षेत्र के, जिसमें वह प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अवस्थित है, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सदस्य सचिव को निदेशित की जाएंगी । यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति का सदस्य-सचिव शिकायत की जांच करेगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा :

परन्तु यह कि किसी ऐसे मामले में जिसमें, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति का सदस्य-सचिव शिकायत को दूर करने में असमर्थ है वहां मामले को विनिश्चय के लिए आयोग को भेजा जाएगा ।

समन्वय

36. इस विनियमों के अधीन प्रक्रियाओं की विरचना, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आवेदन प्ररूप के संबंध में प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को समनुदेशित उत्तरदायित्वों के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा सहयोग दिया जाएगा ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/150/03]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2004

No. L-7/25(4)-2003.—In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, namely :—

Short Title and Commencement

1. (i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) Regulations, 2004.
- (ii) (a) These regulations, except Clause (iii) of Regulation 6 shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette;
- (b) Clause (iii) of Regulation 6 of these regulations shall come into force after expiry of 90 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette and during this period of 90 days, reservation for short-term customers shall be done on first-come-first-served basis:

Provided that the period for such reservation shall not exceed the period of 90 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

- (b) "Allotted Transmission Capacity" means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a long-term customer on the inter-state transmission system under normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;
- (c) "Commission" means Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
- (d) "Direct customer" means a person directly connected to the system owned or operated by the Central Transmission Utility;
- (e) "Embedded customer" means a person who is not a direct customer;
- (f) "Existing beneficiary" means a person having firm allocation from a central power generating station on the date of coming into force of these regulations and who has entered into Bulk Power Transmission Agreement with the Central Transmission Utility;
- (g) "Grid Code" means the Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and includes the Indian Electricity Grid Code applicable on the date of commencement of these regulations;
- (h) "Nodal agency" means the nodal agency defined in regulation 8 of these regulations;
- (i) "Open access customer" means a consumer permitted by the State Commission to receive supply of electricity from a person other than distribution licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;

- (j) "Reserved Transmission Capacity" means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a short-term customer on the transmission system depending on availability of transmission capacity and the expression "reservation of transmission capacity" shall be construed accordingly;
- (k) "Transmission Customer" means any person, including open access customer using transmission system of a transmission licensee;
- (l) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or the Grid Code, shall have the meaning assigned to them under the Act or the Grid Code, as the case may be.

Extent of Application

- 3. These regulations shall apply for access to inter-state transmission system.

Categorisation of Transmission Customers

- 4. (i) The transmission customers shall be divided into two categories, namely: -
 - (a) Long-term customers, and
 - (b) Short-term customers.
- (ii) The persons availing or intending to avail access to the inter-state transmission system for a period of twenty five years or more shall be the long-term customers:

Provided that the existing beneficiaries of a regional transmission system owned or operated by the Central Transmission Utility shall be deemed to be the long-term customers of the particular regional system owned or operated by the Central Transmission Utility for the purpose of these regulations.

(iii) The transmission customers other than the long-term customers shall be the short-term customers:

Provided that the maximum duration for which the short-term access allowed at a time shall not exceed one year:

Provided further that the short-term customer shall be eligible and re-eligible to obtain fresh reservation after expiry of his term.

Criteria for allowing transmission access

5. (i) The long-term access shall be allowed in accordance with the transmission planning criterion stipulated in the Grid Code;
- (ii) The short-term access shall be allowed, if request can be accommodated by utilising: -
- (a) Inherent design margins;
 - (b) Margins available due to variation in power flows; and
 - (c) Margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth.

Criteria for Allotment and Reservation of Transmission Capacity

6. (i) Allotment priority of a long-term customer shall be higher than reservation priority of a short-term customer;
- (ii) In case of short-term customers, at given point of time, if all the requests for access can be accommodated, each short-term customer shall pay the transmission charges in accordance with regulation 16 of these regulations;

- (iii) (a) In case of short-term access, if the capacity sought to be reserved by the customers is more than the available transmission capacity at that point of time, the Regional Load Despatch Centre concerned shall invite snap bids through fax/e-mail;
- (b) The floor price for the bidding shall be the price determined in accordance with regulation 16 of these regulations;
- (c) The bidders shall quote price in terms of percentage points above the floor price;
- (d) The reservation of transmission capacity will be made in decreasing order of the price quoted;
- (e) In case of equal price, if required, the reservation of transmission capacity shall be made pro rata to the capacity sought;
- (f) The customer getting reservation for a capacity less than the capacity sought by him shall pay charges quoted by him and the customers getting transmission capacity reservation equal to the capacity sought by them shall pay charges quoted by the last customer getting reservation of transmission capacity;
- (iv) The Regional Load Despatch Centres shall, within 45 days, formulate a detailed procedure for reservation of transmission capacity to short-term customers, including the detailed procedure for bidding.

7. Within a category (long-term or short-term), there shall be no discrimination between open access customers and self-use by an integrated entity like the State Electricity Board. The transmission licensees shall declare existing long-term customers using their system (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) either on their own website or on the website of the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned within

180 days. All future requests for use of the transmission system for inter-state transmission shall be handled in accordance with these regulations.

Nodal Agency

8. (i) The nodal agency for arranging the long-term transmission access shall be the Central Transmission Utility if its system is used, otherwise the nodal agency shall be transmission licensee in whose system the point of drawal of electricity is situate;
- (ii) The nodal agency for the short-term transmission access shall be the Regional Load Despatch Centre of the region where point of drawal of electricity is situate.

Procedure for Long-Term Customer

9. (i) An application for long-term access shall be submitted to the nodal agency;
- (ii) The application shall contain the details, such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be specified by the nodal agency:

Provided that the nodal agency shall issue necessary guidelines, procedure and application forms within 30 days of publication of these regulations in the Official Gazette.

- (iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rs one lakh payable in the name and in the manner to be decided by the nodal agency;
- (iv) Based on system studies conducted in consultation with other agencies involved including other transmission licensees, the nodal agency shall, within

30 days of receipt of the application, intimate to the applicant whether or not the long-term access can be allowed without further system strengthening:

Provided that where the long-term access can be allowed without further system strengthening, this shall be allowed immediately after entering into commercial agreements.

(v) If, in the opinion of the nodal agency, further system strengthening is essential before providing the long-term access, the applicant may request the nodal agency to carry out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening;

(vi) The nodal agency shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant under clause (v) above and intimate results of the studies within 90 days of receipt of request from the applicant;

(vii) The applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for system strengthening studies:

Provided that the fee of rupees one lakh paid by the applicant shall be adjusted against the actual expenditure to be reimbursed by the applicant.

10. The allotment of transmission capacity to a long-term customer may be relinquished or transferred to any other long-term customer in accordance with regulation 12 of these regulations.

Bulk Power Transmission Agreement

11. A long-term customer shall enter into Bulk Power Transmission Agreement with the transmission licensee for use of inter-state transmission system.

Exit Option

12. (i) A long-term customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the Bulk Power Transmission Agreement, without prior approval of the Commission.
- (ii) The relinquishment or transfer of right and obligations by a long-term customer shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

Procedure for Short-Term Customer

13. (i) A short-term customer shall submit an application for transmission access to the nodal Regional Load Despatch Centre;
- (ii) The application shall contain the details such as capacity needed, point of injection, point of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be specified by the Regional Load Despatch Centre;
- (iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rs five thousand payable in the name and in the manner to be decided by the Regional Load Despatch Centre;
- (iv) The reserved transmission capacity shall not be transferred by a short-term customer to any other customer.

Non-Utilisation of reserved transmission capacity by short-term Customer

14. (i) In case a short-term customer is unable to utilise, full or substantial part of the reserved transmission capacity, he shall inform the Regional Load Despatch Centre along with reasons for his inability to utilise the reserved transmission capacity and may surrender the reserved transmission capacity;

- (ii) The Regional Load Despatch Centre may reduce or cancel the reserved transmission capacity of a short-term customer when such a short-term customer frequently under-utilises the reserved transmission capacity;
- (iii) The short-term customer, who has surrendered the reserved transmission capacity or whose reserved transmission capacity has been reduced or cancelled, shall bear full transmission charges and the scheduling and system operation charges based on original reserved transmission capacity and the period for which the transmission capacity was reserved;
- (iv) The transmission capacity available as a result of surrender or reduction or cancellation of the reserved transmission capacity by the Regional Load Despatch Centre under clause (i) or clause (ii) above, may be reserved for any other short-term open access customer in accordance with these regulations.

Treatment of Existing Transactions

15. Any person, other than the existing beneficiary, using the inter-state transmission system on the date of commencement of these regulations, shall be given 60 days notice by the Regional Load Despatch Centre to submit an application to the nodal agency for grant of access to the transmission system in accordance with these regulations.

Transmission Charges

16. The transmission charges for use of the transmission system of the transmission licensee for inter-state transmission shall be regulated as under, namely:-

- (i) The annual transmission charges shall be determined by the Commission in accordance with the terms and conditions of tariff notified by the Commission from time to time and after deducting the adjustable revenue from the short-term customers, these charges shall be shared by the long-term customers;

- (ii) (a) The charges payable by a short-term customer shall be calculated in accordance with the following methodology:

$$\text{ST_RATE} = 0.25 \times [\text{TSC} / \text{Av_CAP}] / 365$$

Where:

ST_RATE is the rate for short-term open access customer in Rs per MW per day.

Note

ST_RATE shall be calculated and applied for each - (a) regional system; (b) inter-regional link, and (c) system of the State Transmission Utility or the State Electricity Board or any other transmission licensee forming part of the inter-state system.

"TSC" means the Annual Transmission Charges of the transmission licensee for the previous financial year determined by the Appropriate Commission.

"Av_CAP" means the average capacity in MW served by the transmission system of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other transactions handled by the system of the transmission licensee.

(b) The transmission charges payable by a short-term customer shall be for one day and in multiples of whole number of days.

(c) Non-availability of TSC for the transmission system shall not be reason for delay in providing transmission access and where TSC for any transmission licensee are not available, the per MW per day charge applicable for the system owned by the Central Transmission Utility of the region in which the system of transmission licensee is situate, shall be used.

(d) Every transmission licensee shall declare rate in Rs per MW per day, which shall remain fixed for a period of one year:

Provided that in case of north-eastern region, where the Uniform Common Pooled Transmission Tariff (UCPTT) of 35 paise/KWh is applicable, the Central Transmission Utility shall notify ST_RATE as 25% of the UCPTT in Rs/MW/Day:

Provided further that where reservation of transmission capacity has been done consequent to bidding in the manner specified in Regulation 6 of these regulations, the ST_RATE shall be taken as the floor price for bidding.

(iii) 25% of the charges collected from the short-term customer shall be retained by the transmission licensee and the balance 75% shall be adjusted towards reduction in the transmission charges payable by the long-term customers.

Scheduling and System Operation Charges

17. (i) The scheduling and system operation charges of Rs.3000/-per day or part of the day shall be paid by a short-term customers to each Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre involved in the transaction;

(ii) The scheduling and system operation charges collected by the Regional Load Despatch Centre in accordance with clause (i) above shall be in addition to the fees and charges approved by the Commission.

Explanation

Scheduling and system operation charges shall be payable by a generating company when they allowed access under these regulations.

Unscheduled Inter-change (UI) charges

18. (i) The mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be met from the grid and shall be governed by UI pricing mechanism applicable to the inter-state transactions;
- (ii) A separate bill for UI charges shall be issued to the direct customers and in case of the embedded customers, a composite UI bill for the State as a whole shall be issued, the segregation for which shall be done at the State level.

Reactive Energy Charges

19. The payment for the reactive energy charges for the direct customers on account of open access shall be calculated in accordance with the scheme applicable to transactions involving inter-state transmission approved by the Commission from time to time.
20. The reactive energy charges payable to or receivable by the State Electricity Board or the State Transmission Utility shall be paid to or received from the pool by the State Electricity Board or the State Transmission Utility concerned and shall not be apportioned to the embedded customers.
21. The reactive energy drawals and injections by the embedded customers shall be governed by the regulations applicable within the State concerned.

Time-schedule for Processing Application

22. As far as practicable, the following time schedule shall be adhered to by the respective nodal agency for processing of the application for grant of open access:

S.No.	Type of service/activity	Maximum Processing time
1.	Short-Term Service	
	Up to One day	12 hours
	Up to one week	Two days
	Up to one month	Seven days
	Up to one year	Thirty days
2.	Long-Term Service	
	Intimation regarding feasibility of access without system strengthening	30 days
	Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule	90 days

Curtailment Priority

23. When because of transmission constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the transmission service of the transmission customers, the short-term customers shall be curtailed first followed by the long-term customers:

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and shall be curtailed pro rata to the allotted transmission capacity in the case of long-term customers and the reserved transmission capacity in the case of short-term customers.

Other Commercial Conditions

24. Other commercial conditions for transmission charges and scheduling and system operation charges, such as, terms of payment, creditworthiness, indemnification and force majeure conditions shall be standardised within 60 days by the Central Transmission Utility for long-term customers and by the Regional Load Despatch Centre for the short-term customers .

Special Energy Meters

25. The Special Energy Meters shall be installed by the direct customers and if required, also by the embedded customers.

26. The Special Energy Meters installed shall be capable of time differentiated measurements (15 minutes) of active energy and voltage differentiated measurement

of reactive energy as specified by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre.

27. The Special Energy Meters shall be always maintained in good condition.

28. The Special Energy Meters for the direct customer shall be open for inspection by any person authorised by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre.

Energy losses

29. The transmission customers shall bear average energy losses in the transmission system as estimated by the Regional Load Despatch Centre and the State Load Despatch Centre concerned. The energy losses in the transmission system shall be compensated by additional injection at the injection point(s). The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks shall be posted on the website of the Regional Load Despatch Centres and the State Load Despatch Centres.

Compliance of Grid Code

30. The open access customers shall comply with the provisions of the Grid Code in force from time to time.

Collection and Disbursement of charges

31. (i) The transmission charges in respect of long-term customers shall be payable directly to respective transmission licensee;

(ii) The transmission charges and the scheduling and system operation charges in respect of short-term customers shall be collected and disbursed by the nodal Regional Load Despatch Centre. The nodal Regional Load Despatch Centre may require the transmission charges and scheduling and system operation charges to be paid in advance for a maximum period of one month, the detailed procedure for which shall be finalised by jointly by the Regional Load Despatch Centres;

(iii) The short-term customers shall pay 2% of the billed amount for transmission charges and scheduling and system operation charges as handling and service charges to the nodal Regional Load Despatch Centre and these charges shall not be adjusted against the Regional Load Despatch Centre fees and charges approved by the Commission;

(iv) The collection and disbursement of the uncommitted inter-change charges and the reactive energy charges shall be governed in accordance with the procedure and methodology specified by the Commission from time to time.

Information System

32. Each Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre shall post following information on their websites in a separate web-page titled "Open access information" :

- (i) Floor rate in rupees per MW per day for the short-term customers (ST_RATE) for each - (a) regional system; (b) inter-regional link, and (c) system of the State Transmission Utility or the State Electricity Board or any other transmission licensee with detailed calculations in support of such rate in respect of all the transmission licensees situate within the region or the State concerned;
- (ii) A status report on the current short-term customers indicating:-
 - (a) Name of customer;
 - (b) Period of the access granted (start date and end date);
 - (c) Point(s) of injection;
 - (d) Point(s) of drawal;
 - (e) Transmission systems used (in terms of region and ownership);
 - (f) Reserved transmission capacity; and
 - (g) Applicable rate (Rs per MW per day).

Note

The status report shall be updated upon every change in status.

- (iii) Month-wise and year-wise report on past short-term customers indicating:
- (a) Name of the customer;
 - (b) Period of the access granted (start date and end date);
 - (c) Point(s) of injection;
 - (d) Point(s) of drawal;
 - (e) Transmission systems used (on the basis of region and ownership);
 - (f) Reserved transmission capacity;
 - (g) Applicable rate (Rs per MW per day); and
 - (h) Actual load factor.

Note

All previous reports shall also be available in the web-archives.

- (iv) Information regarding usage of the inter-regional links and the interface between the Central Transmission Utility and state systems (in case of the Regional Load Despatch Centre) and inter-state links (in case of State Load Despatch Centre) indicating:
- (a) Time of updating;
 - (b) Name of the link;
 - (c) Total transmission capacity of the link;
 - (d) Scheduled capacity use (giving customer-wise break-up); and
 - (e) Current capacity of the link in use.

Note

This information should be updated at least on hourly basis, and where ever feasible on 15 minute basis.

- (v) The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks.

33. The publication of the web-based information system shall commence within 30 days in case of the Regional Load Despatch Centres and within 180 days in case of the State Load Despatch Centres. Each transmission licensee shall make available

the above information to the Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre concerned.

34. All transmission licensees shall declare current long-term customers using their system (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) with details thereof either on their own websites or on the website of the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned, within 180 days.

Note

This list shall be updated as and when change in status takes place.

Redressal Mechanism

35. All complaints regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter related to open access in inter-state transmission shall be directed to the Member Secretary, Regional Electricity Board or Regional Power Committee, as the case may be, of the region in which the authority against whom the complaint is made, is located. The Member Secretary, Regional Electricity Board or the Regional Power Committee, as the case may be, shall investigate and endeavour to resolve the grievance:

Provided that any matter which the Member Secretary, Regional Electricity Board or the Regional Power Committee, as the case may be, is unable to resolve, shall be reported to the Commission for a decision.

Coordination

36. The responsibilities assigned to the Regional Load Despatch Centres of formulation of procedures, guidelines and application forms under these regulations shall be coordinated by the Central Transmission Utility.

A. K. SACHAN, Secy.
[ADVT-3/4/Extraordinary/150/03]